

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/ अन्वे./पांच/2015 /35937-36086 इन्दौर, दिनांक 29/09/2020

अधिसूचना

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2020 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क.एफ 4 (सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक प्रभावशील की गई है। गत छः माही का औसत 329 रहा है अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (329-324)=.05 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके कारण दिनांक 01.10.2020 जारी दरें निम्नानुसार रहेगी: -----

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(आकड़ें रूपों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00
कुशल	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00

अनुसूची -ब

किसी स्लेटपेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकड़े रूपों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00
पेकर्स, पट्टी पेकर सीपर	6705.00	257.88	2200.00	84.62	8905.00	342.50	343.00
मुनीम, लेखाकार क्लर्क आदि	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
रोलर्स, मिस्त्री, पाईन्टर्स	9522.00	366.23	2200.00	84.62	11722.00	450.84	451.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00
कर्टर्स	10155.00	390.57	2200.00	84.62	12355.00	475.19	475.00

अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
लिपिकीय वर्ग							
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500.00	324.42	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00
श्रेणी एक	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00
अर्द्धकुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	2200.00	84.62	11885.00	457.11	457.00
श्रेणी दो	9378.00	360.69	2200.00	84.62	11578.00	445.30	445.00
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00

अनुसूची 'क'

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	1900.00	63.33	8400.00	280.00	280.00
अर्द्धकुशल	7057.00	235.23	2200.00	73.33	9257.00	308.56	309.00
कुशल	8435.00	281.16	2200.00	73.33	10635.00	354.49	354.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	2200.00	73.33	11935.00	397.83	398.00

कृषि नियोजन

जुलाई से दिसम्बर 2019 छः माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 930 था जिससे पूर्व की छः माही का औसत 902 था जिसके कारण 28 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके कारण 6 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा:-

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5360.00	178.66	1476.00	49.20	6826.00	227.53	228.00

बीडी नियोजन

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक निम्नानुसार देय है:-

क.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.00	2250.00	86.53	7325.00	281.73	282.00
2.	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	2250.00	86.53	7195.00	276.73	277.00
3.	ड्रायव्हर (चालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	2250.00	86.53	7475.00	287.50	288.00

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत छः माही में 324 होने पर कुल 83 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-


अनुसूची (एफ)

अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 21.40	22.00	43.40
साधारण अगरबत्ती सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	22.00	44.00

स्पष्टीकरण

1. म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनु रूप प्रतिदिन रूपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई है।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
5. स्पष्टीकरण:- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई,2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।


 29/09/2020
 (आशुतोष अक्स्थी)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर
